बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001
(पंजीयन सं०–633/2003)
E-mail : basa_bihar@yahoo.com

पत्रांक : 04 दिनांक 1-2-2010

अध्यक्ष
अरूण चन्द्र मिश्र
(M) 9835281295
(M) 9939469410
(R) 0612-2526123

उपाध्यक्ष
* शम्भु नाथ मिश्र
(M) 9431619672
(O) 9334387630
(F) 0612-2504498
(R) 0612-2288139

* अखलाक अहमद
(M) 9934280177
(O) 0612-2219693

महासचिव
सुशील कुमार
(M) 9431091417
(O) 9431818484

संयुक्त सचिव
* राजयनन्द बडियार
(M) 9431093157
(O) 9431818010

* अनिल कुमार
(M) 9431409463

कोषाध्यक्ष
चन्द्र शेखर सिंह
(M) 9334131351

संयुक्त कोषाध्यक्ष
सोमेश बहादुर माथुर
(M) 9431407901
(O) 9334387555

सेवा में,

मुख्य सचिव, बिहार,
पटना।

विषयः–बिहार प्रशासनिक सेवा के वेतनमान् पुनरीक्षित करने में हुई अनियमितता के संबध में।

महाशय,

वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 630 दिनांक 21 जनवरी, 2010 द्वारा राज्य सरकार के कर्मियों का वेतनमान् पुनरीक्षण दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से किया गया है।

2. वित्त विभाग के उक्त संकल्प द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को P.B.-2 (9300-34800) में ग्रेड पे 5400 रू0 निर्धारित किया गया है।

3. राज्य सरकार द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को उपर्युक्त वेतनमान् देना सरकार के पूर्व में लिये गए निर्णय के प्रतिकूल है।

4. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 363–बी2 दिनांक 17.01.2009 द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा को प्रीमियर सेवा के रूप में मान्यता देते हुए दिनांक 01.01.2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 8000–13500 में निर्धारित करते हुए पुनरीक्षित वेतन संरचना में पे बैन्ड –3 के अन्तर्गत ग्रेड वेतन 5400/–रू0 प्रदान किया गया है।

5. वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 630 दिनांक 21 जनवरी, 2010 में वेतन समिति की अनुशंसा तथा त्रि–सदस्यीय समिति की अनुशंसा के आलोक में वेतनमान स्वीकृत किये जाने का उल्लेख है। वेतन समिति द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को अन्य राज्य सेवाओं के पदाधिकारियों के साथ तुलना करते हुए अखिल भारतीय ग्रुप ''क'' के पदाधिकारियों के साथ सापेक्षता का निर्धारण किया गया है। इसमें वेतन समिति द्वारा जान–बुझकर सरकार को गुमराह करने हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 9849 दिनांक 10.11.2004 के द्वारा राज्य सरकार के पदाधिकारियोंएवं कर्मचारियों के वर्गीकरण की अनदेखी की गई है। वेतन समिति का यह कहना कि बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी ग्रुप ''ए'' के पदाधिकारी नही हैं, पूर्णतः भ्रामक है। कार्मिक एवं

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001

(पंजीयन सं०–633/2003)

E-mail : basa_bihar@yahoo.com

पत्रांक :.................................. दिनांक ....

अध्यक्ष

अरूण चन्द्र मिश्र

(M) 9835281295
(M) 9939469410
(R) 0612-2526123

+++

उपाध्यक्ष

* शम्भु नाथ मिश्र

(M) 9431619672
(O) 9334387630
(F) 0612-2504498
(R) 0612-2288139

* अखलाक अहमद

(M) 9934280177
(O) 0612-2219693

+++

महासचिव

सुशील कुमार

(M) 9431091417
(O) 9431818484

+++

संयुक्त सचिव

* राजयनन्द बडियार

(M) 9431093157
(O) 9431818010

* अनिल कुमार

(M) 9431409463

+++

कोषाध्यक्ष

चन्द्र शेखर सिंह

(M) 9334131351

+++

संयुक्त कोषाध्यक्ष

सोमेश बहादुर माथुर

(M) 9431407901
(O) 9334387555

प्रशासनिक सुधार विभाग के उल्लेखित संकल्प में यह कहा गया है कि कोई ऐसा पद जिसका वेतन अथवा जिसके वेतनमान का अधिकतम 13500 से कम नही हो, समूह "क" का पद है।

उल्लेखनीय है कि मंत्रिपरिषद् की बैठक में वित्त विभाग के ज्ञापांक 298 बि (2) दिनांक 13.01.09 के द्वारा भेजे गये प्रस्ताव स्वीकृत कर बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारियों को 8000–13500 का वेतनमान् स्वीकृत किया गया था। तदुपरान्त वित्त विभाग के संकल्प संख्या 363 दिनांक 17.01.2009 द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारियों का अपुनरीक्षित वेतनमान् 8000–13500 दिनांक 01.01.2006 से लागू कर दिया गया, तो फिर वेतन समिति का यह कहना कि बिहार प्रशासनिक सेवा वर्ग "क" में नही है, पूर्णतः भ्रामक, तथ्य से परे तथा सरकार को गुमराह करने की साजिश है।

अतएव बिहार प्रशासनिक सेवा संघ राज्य सरकार से मांग करती है कि वित्त विभागीय संकल्प संख्या 630 दिनांक 21 जनवरी, 2010 के द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारियों को दिये गए वेतनमान् को निरस्त करते हुए बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को वित्त विभाग के संकल्प संख्या 363–बी2 दिनांक 17.01.2009 के द्वारा दिये गए वेतनमान् को हु–ब–हू लागू करने का आदेश निर्गत किया जाय।

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ को यह विश्वास है कि राज्य सरकार संघ की प्रतिष्ठा एवं मर्यादा को ध्यान में रखते हुए संघ को अन्दोलनात्मक कार्रवाई करने हेतु बाध्य नही करेगी। मूल वेतनमान् में छेड़छाड़ से बिहार प्रशासनिक सेवा की गरिमा को ठेस पहुँचती है एवं इससे इस सेवा के पदाधिकारियों का मनोबल टूटता है। वेतनमान् के संबंध में अगर कोई शंका श्रीमान् को हो, तो संघ का त्रि–सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल किसी भी समय वार्त्ता के लिए उपलब्ध रहेगा।

अनुलग्नक :–

(क) वित्त विभागीय संकल्प संख्या–363–बी2 दिनांक 17.01.2009

(ख) कार्मिक एवं प्र0 सु0 विभाग की संकल्प संख्या–9849 दिनांक 10.11.2004

(ग) वित्त विभागीय ज्ञापांक 298 बि(2) दि. 13.1.2009

विश्वासभाजन

1/2/2010

(अरूण चन्द्र मिश्र)

अध्यक्ष